

[2023] 5 एस.सी.आर 327

मैसर्स श्री विष्णु कंस्ट्रक्शंस

बनाम

मुख्य सैन्य अभियांत्रिकी में अभियंता

सेवा और अन्य

(सिविल अपील सं. 3461/2023)

09 मई, 2023

[न्या. एम. आर. शाह और न्या. सी. टी. रविकुमार]

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 -धारा 26-संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रयोज्यता-चाहे पुराने अधिनियम (संशोधन पूर्व अधिनियम, 2015) के प्रावधान हों या नए अधिनियम (संशोधन अधिनियम, 2015) के प्रावधान तब लागू होंगे जब मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया जाता है, लेकिन मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आवेदन किया जाता है। 11 (6), 1996 अधिनियम संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया गया है- आयोजित:ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 और आवेदन यू/एस से पहले जारी किया जाता है। 11 (6) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया गया है, संशोधित अधिनियम, 2015 लागू नहीं होगा और पक्षकार संशोधन पूर्व अधिनियम, 2015-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. एस. द्वारा शासित होंगे। 11 (6),21.

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 - चाहे भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामलों में निर्णय [2019] 5 एससीआर 1009 और भारत संघ बनाम प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी [2012] 17 एससीआर 64 के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के मामले में निर्णय के रूप में इनक्यूरियम भारत (बी.सी.सी.आई.) बनाम

कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [2018] 2 एस.सी.आर. 829 पर उक्त निर्णयों में विचार नहीं किया गया-आयोजित:सं-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 खंड 11 (6ए) को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके द्वारा अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत एक आवेदन से निपटने वाले न्यायालय की शक्तियां प्रतिबंधित हैं और खंड 11 (6ए) के अनुसार, अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय की शक्तियां एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित हैं, जो शक्तियां पूर्व-संशोधन अधिनियम, 2015 में प्रतिबंधित नहीं थीं। हालांकि, संशोधन अधिनियम, 2015 की खंड 26 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल अधिनियम की खंड 21 के अनुसार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए, मूल अधिनियम की खंड 21 के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख को शुरू हुई है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इसलिए, मूल अधिनियम की खंड 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख को शुरू हुई कही जा सकती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 36 में भी संशोधन किया गया है और निर्णय को चुनौती देने में न्यायालय के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित और/या संकुचित कर दिया गया है। [पैरा 6.1] [343-ए-ई]

1.2 इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या निर्णय *परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शंस कंपनी* के मामलों में कहा जा सकता है कि बी.सी.सी.आई. के मामले में इस अदालत के फैसले पर इस अदालत ने उक्त फैसलों में विचार नहीं किया है। हालांकि, बी.सी.सी.आई. के मामले में निर्णयों और पैराग्राफ 37 से 39 में की गई टिप्पणियों के निष्पक्ष अध्ययन और मामलों में निर्णयों के निष्पक्ष अध्ययन पर। *परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन* कंपनी, बी.सी.सी.आई. के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां तक धारा 34 और 36 के तहत कार्यवाही का संबंध है, मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 संभावित प्रकृति का है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बी. सी. सी. आई. के मामले में, खंड 11 (6) के तहत आवेदन विषय नहीं था और अदालत के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था कि ऐसे मामले में भी जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया गया है, लेकिन खंड 11 (6) के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया गया है, स्थिति क्या होगी और क्या पुराना अधिनियम लागू होगा या संशोधित अधिनियम। दूसरी ओर, निर्णय *परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी* के मामले में सीधे अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत आवेदन। में। *परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी* का मामला, यह विशेष रूप से है अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया जाता है और धारा 11 (6) के तहत आवेदन मूल अधिनियम की धारा 21 के अनुसार संशोधन के बाद दायर किया जाता है, मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस जारी करने की तारीख को मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ माना जाएगा और इसलिए संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 के अनुसार, संशोधित अधिनियम, 2015 लागू नहीं होगा और खंडकार पूर्व-संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा शासित होंगे। अपीलकर्ता की ओर से निवेदन इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बी.सी.सी.आई. के मामले में यह न्यायालय धारा 34 और 36 के तहत अदालती कार्यवाही पर विचार कर रहा था। इस पर, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 37 से 39 में खंड 26 की व्याख्या की और अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है, और उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो मूल

अधिनियम की खंड 21 द्वारा संशोधित अधिनियम, 2015 को या उसके बाद शुरू की गई हैं और उन अदालती कार्यवाही पर लागू होगी जो संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं। इसलिए, बी.सी.सी.आई. के मामले में पैराग्राफ 37 से 39 में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को उन अदालती कार्यवाही के संबंध में समझा और समझा जाएगा जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं, अर्थात् धारा 34 और धारा 39 के तहत कार्यवाही। 36. इसलिए, परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मामलों में इस अदालत के फैसलों को बी. सी. सी. आई. के मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मामले में, जो सीधे तौर पर इस मुद्दे पर है, इसने विशेष रूप से कहा और अभिनिर्धारित किया कि 2015 का संशोधन अधिनियम, जो डब्ल्यू.ई.एफ. 23.10.2015 से लागू हुआ, 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि खंड अन्यथा सहमत न हों (पैरा 27)। एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। [पैरा 9,9.1] [351-ई-एच; 352-ए-सी, डी-जी]

भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2019) 15 एससीसी 682 : [2019] 5 एससीआर 1009; भारत संघ बनाम प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2020) 2 एससीसी 464 : [2012] 17 एससीआर 64; एस.पी. सिंगल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल राज्य प्रदेश और अन्य (2019) 2 एससीसी 488 : [2018] 14 एससीआर 1005 - पर भरोसा किया गया।

1.3 वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले अर्थात् 26.12.2013 पर जारी किया गया था और अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत आवेदन को 27.04.2016 पर पूर्व त्रुटिपूर्ण/दर्ज किया गया है, अर्थात्, संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होने के बहुत बाद, संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित कानून लागू होगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने सहमति

और संतुष्टि के प्रश्न को सही ढंग से दर्ज किया है और संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित मुख्य अधिनियम, अर्थात् मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को लागू करने वाले अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया जाता है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए खंड 11 के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद किया जाता है, पूर्व-संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे न कि संशोधन अधिनियम, 2015। [पैरा 10] [353-ए-डी]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2018) 6 एससीसी 287 : [2018] 2 एससीआर 829; अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2017) 15 एससीसी 32 : [2017] 11 एससीआर 497; सांगयोंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एससीआर 522; हिंदुस्तान निर्माण कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2020) 17 एससीसी 324; भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड (2020) 10 एससीसी 1; पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020) 7 एससीसी 167 : [2020] 4 एससीआर 156; मायवती ट्रेडिंग बनाम प्रद्युत देवबर्मन, (2019) 8 एससीसी 714: [2019] 12 एससीआर 123 - संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

[2018] 2 एससीआर 829 में अनुच्छेद 3.2 संदर्भित है

[2019] 5 एससीआर 1009 में 3.6 पर भरोसा किया है

[2012] 17 एससीआर 64 में 3.6 पर भरोसा किया है

[2017] 11 एससीआर 497 में अनुच्छेद 3.7 संदर्भित है

[2018] 14 एससीआर 1005 में 3.8 पर भरोसा किया है

[2019] 7 एससीआर 522 में अनुच्छेद 3.9 संदर्भित है

[2020] 4 एससीआर 156 में अनुच्छेद 3.12 संदर्भित है

[2019] 12 एससीआर 123 में अनुच्छेद 7 (i) संदर्भित है

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल याचिका सं. 3461/2023

ए.आर.बी.ए. सं. 151/2016 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 30.06.2020 के निर्णय और आदेश से।

के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, अधिवक्तागण। अपीलकर्ता के लिए।

पद्मेश मिश्रा, अनुकल्प जैन, युवराज शर्मा, अक्षय नैन, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री मेघा कर्णवाल, गोपाल झा, अधिवक्तागण। प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्या. एम.आर. शाह,

1. 2016 के ए.आर.बी.ए. सं. 151 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 के तहत दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और इस आधार पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया है कि पहले अपीलकर्ता ने अंतिम विधेयक के अनुसार राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान में स्वीकार कर लिया था और बिना कोई विवाद उठाए और "आगे कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र भी जारी किया था, मूल आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 कि इसमें अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने इसमें परिवर्धन/परिवर्तन के लिए 22.07.2010 दिनांकित समझौते के माध्यम से एक समझौता किया है। वरिष्ठ गैर-कमीशन अधिकारी वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में तकनीकी क्षेत्र में फर्श पर मेस और मरम्मत/नवीनीकरण करते हैं। अपीलकर्ता ने 10.07.2012 पर उपरोक्त कार्य के लिए एक संशोधित अंतिम बिल उठाया। अंतिम बिल के संबंध में भुगतान अपीलकर्ता को 29.04.2013 पर किया गया था। अपीलकर्ता ने "आगे कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र भी जारी किया।

2.2 अपीलकर्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए दिनांक 20.12.2013 का एक नोटिस भेजा। अपीलकर्ता ने अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष 27.04.2016 पर एक आवेदन को प्राथमिकता दी और एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि अंतिम बिल के तहत देय और देय पूरी राशि का भुगतान 29.04.2013 पर किया गया था और अपीलकर्ता ने भी "आगे कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र जारी किया था और इसलिए, "समझौते और संतुष्टि" के आधार पर, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से यह मामला था कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "संशोधन अधिनियम, 2015" के रूप में संदर्भित किया गया है) को देखते हुए, जिसके द्वारा खंड 11 (6ए) को खंड 11 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय जोड़ा गया था, न्यायालय के पास बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र होगा और केवल इस बात पर विचार करने के लिए कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है या नहीं और खंड 11 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में कोई आगे की जांच की अनुमति नहीं है और "समझौते और संतुष्टि" के संबंध में मुद्दे को मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह मामला था कि संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे।

2.3 प्रतिवादी की ओर से यह मामला था कि संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 21 के साथ पठित धारा 26 के अनुसार, संशोधन अधिनियम, 2015 उस मामले में लागू नहीं होगा जहां मध्यस्थता

अधिनियम की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही, संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले शुरू की गई है।

2.4 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को खारिज कर दिया है और इस आधार पर मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 लागू नहीं होगा और अधिनियम, पूर्व-संशोधन, 2015 लागू होगा। इसके बाद, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि अंतिम बिल के अनुसार भुगतान का पूर्ण और अंतिम निपटान किया गया था और यहां तक कि अपीलकर्ता ने "आगे कोई दावा नहीं" प्रमाण पत्र जारी किया और यहां तक कि अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन भी लगभग तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

3. श्री के. परमेश्वर, विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वर्तमान अपील संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 की व्याख्या है, जहां तक संशोधित प्रावधानों की प्रयोज्यता, विशेष रूप से, धारा 11 (6क) को शामिल करना और संशोधन अधिनियम, 2015 के 23.10.2015 से लागू होने के बाद शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही में इसकी प्रयोज्यता है।

3.2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार उपरोक्त मुद्दा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 287 (पैरा 37 और 39)

के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

3.3 उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 संभावित रूप

से लागू होगा और उस मामले में भी जहां संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले अधिनियम की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई थी, संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में इस न्यायालय को संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 का विश्लेषण और व्याख्या करने का अवसर मिला था। न्यायालय ने विशेष रूप से विधायी इतिहास का पता लगाया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 26 को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है और दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही पर लागू होता है, जिसका अर्थ है न्यायिक कार्यवाही। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"38. 1996 के अधिनियम के अध्याय 5 के शीर्षक से स्पष्ट है कि "मध्यस्थता कार्यवाही" शब्द एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करता है, जो इस प्रकार है:

"मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन"

पूरे अध्याय में धारा 18 से 27 शामिल हैं जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन से संबंधित हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि केवल ये कार्यवाहियाँ इसे स्पष्ट करने के संबंध में अभिव्यक्ति के विपरीत "से" अभिव्यक्ति को संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की खंड 21 का संदर्भ, जो अध्याय 5 में दिखाई देता है, और जो उस तारीख से शुरू होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही की बात करता है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है, यह भी स्पष्ट करेगा कि ये कार्यवाहियाँ हैं, और कोई अन्य नहीं, जो खंड 26 के पहले भाग का विषय-वस्तु हैं। इसके अलावा, चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन काफी हद तक प्रक्रियात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए पक्षकार "अन्यथा

सहमत" हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम को उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई हैं। [संशोधन (एस. आई. सी. संशोधित) अधिनियम की खंड 29-ए समय-सीमा का प्रावधान करती है जिसके भीतर एक मध्यस्थ निर्णय दिया जाना है। *हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (1994) 4 एस.सी.सी. 602 पी.633:1994 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1087, इस न्यायालय ने कहा:(एस.सी.सी. पृष्ठ 633, पैरा 26) "26. (iii) प्रत्येक वादकारी को मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। (iv) एक प्रक्रियात्मक अधिनियम को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा। (v) एक अधिनियम जो न केवल प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, उसका संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। पीठ ने कहा, "यह अन्य बातों के साथ साथ-साथ इसलिए है क्योंकि संशोधन (एस. आई. सी. संशोधित) अधिनियम की खंड 29-ए में पहली बार मध्यस्थता निर्णय देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है कि पक्षों को ऐसी समय-सीमा अपनाने का विकल्प दिया गया था, जो यद्यपि प्रक्रियात्मक प्रकृति की हो, लेकिन असंशोधित अधिनियम के तहत पहले से शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में नए दायित्व पैदा करती है। यह, निश्चित रूप से, केवल एक उदाहरण है कि क्यों पक्षकार अन्यथा सहमत हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो इसके लागू होने से पहले शुरू हुई हैं।]खंड 26 के पहले भाग के बिल्कुल

विपरीत दूसरा भाग है, जिसमें संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू किया गया है जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई थी। 1996 के अधिनियम की खंड 21 का कोई भी संदर्भ दूसरे भाग में इसकी अभाव से स्पष्ट है। जबकि पहला भाग केवल एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को संदर्भित करता है, दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालती कार्यवाही को संदर्भित करता है, और यह इन अदालती कार्यवाही का प्रारंभ है जिसे खंड 26 के दूसरे भाग में संदर्भित किया गया है, क्योंकि दूसरे भाग में "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" शब्द 1996 के अधिनियम की खंड 21 के आवेदन द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

39. इसलिए, खंड 26, कार्यवाहियों को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बहुत स्पष्टता के साथ, कार्यवाहियों के दो समूहों में विभाजित करती है-स्वयं मध्यस्थता कार्यवाहियां और उसके संबंध में अदालती कार्यवाहियां। खंड 26 के पहले भाग को नकारात्मक रूप में रखने का कारण केवल यह कहना है कि यदि पक्ष अन्यथा सहमत होते हैं तो संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा। यदि खंड 26 के पहले भाग को सकारात्मक भाषा में जोड़ा गया था (दूसरे भाग की तरह), तो यह कहते हुए एक परंतुक जोड़ना आवश्यक होता कि यदि पक्ष सहमत होते हैं तो संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा। दोनों ही मामलों में, विधायिका का इरादा समान रहता है, नकारात्मक रूप आवश्यक परंतुक के साथ ठीक वही बताता है जो सकारात्मक रूप से कहा जा सकता था। जाहिर है, "मध्यस्थता कार्यवाही" पहले भाग में शामिल होने के बाद दूसरे भाग में फिर से प्रकट नहीं हो सकती है, और इसलिए "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति केवल उन

अदालती कार्यवाही पर लागू होगी जो मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित हैं। खंड 26 की योजना इस प्रकार स्पष्ट है: कि संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है, और उन मध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू होगा जो मूल अधिनियम की खंड 21 द्वारा, संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद शुरू की गई हैं, और अदालती कार्यवाहियों पर जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं।"

3.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 26 के दूसरे भाग में दिखाई देने वाला वाक्यांश 'मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में' अदालती कार्यवाही के प्रारंभ को संदर्भित करता है और मूल अधिनियम की धारा 21 द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में, जहां तक धारा 11(6क) की प्रयोज्यता का संबंध है, प्रासंगिक तिथि मध्यस्थता के आह्वान की तारीख नहीं है, बल्कि धारा 11 के तहत अदालत के समक्ष न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की तारीख है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस प्रकाश में देखते हुए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि धारा 11(6)(क) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी, स्पष्ट रूप से गलत है।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2019) 15 एससीसी 682 (दो न्यायाधीशों की पीठ) के मामले में (पैरा 25-27), बीसीसीआई उपरोक्त के फैसले पर ध्यान दिए बिना, एक समन्वय पीठ ने धारा 21 पर भरोसा करते हुए कहा है कि संबंधित तारीख संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 की प्रयोज्यता के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किए जाने की तारीख है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत संघ बनाम प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2020) के मामले में फैसले में इसका पालन किया गया है। 2 एससीसी 464 (तीन न्यायाधीशों की पीठ), जिसने बीसीसीआई उपरोक्त के मामले का भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन केवल परमार निर्माण कंपनी उपरोक्त में फैसले का पालन किया है 3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में निर्णय अधिनियम की धारा 36 के संदर्भ में दिया गया था, न कि इस संदर्भ में कि - धारा 11. प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) और परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) दोनों मामले संबंधित थे खंड 11. हालाँकि, इनमें से किसी भी

मामले ने न्यायिक कार्यवाही से संबंधित संशोधन अधिनियम, 2015 की खंड 26 के दूसरे भाग को अलग नहीं किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परमार निर्माण में कंपनी (ऊपर), अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2017) 15 एस.सी.सी. 32 पर निर्भरता रखी गई थी। (पैरा 22), संशोधन अधिनियम, 2015 की खंड 26 के साथ पठित मूल अधिनियम की खंड 21 के प्रभाव की जांच करने के लिए। इसे प्रस्तुत किया जाता है कि परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) के मामले में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) पर दी गई निर्भरता है पूरी तरह से गलत। सबसे पहले, अरावली में न तो मूल अधिनियम की खंड 21 और न ही संशोधन अधिनियम, 2015 की खंड 26 पर चर्चा की गई थी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)। दूसरा, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय से कोई सरोकार नहीं था। न्यायिक कार्यवाही लेकिन धारा 12 और 13 के तहत उसकी योग्यता को चुनौती देने वाले मध्यस्थ के समक्ष दायर आवेदन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, खंड 26 का दूसरा भाग बिल्कुल भी विचार के लिए नहीं आया।

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह, परमार एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य., (2019) 2 एससीसी 488 (पैरा 16) में रखी गई निर्भरता है। फिर से खो गई है क्योंकि एस.पी. सिंगला में कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) का मुद्दा भी शामिल था धारा 12 के तहत मध्यस्थ की अयोग्यता और इसके परिणामस्वरूप संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले धारा 11 की याचिकाएं दायर करना था।

3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर, यह न्यायालय सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय मामले में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), (2019) 15 एससीसी 131 (पैरा 19) ने माना है कि, 2015 में संशोधित धारा 34 केवल निम्नलिखित पर लागू होगी: धारा 34 जो 23.10.2015 को या उसके बाद न्यायालय में की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से पहले शुरू हुई हो और ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने बीसीसीआई

(उपरोक्त) में फैसले का पालन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर, सांगर्योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), (2019) 15 एससीसी 131 (पैरा 19) में यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 2015 में यथा संशोधित खंड 34 केवल उन खंड 34 आवेदनों पर लागू होगी जो न्यायालय में 1 को या उसके बाद किए गए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से पहले शुरू हुई होगी और ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का पालन किया।

3.10 यह प्रस्तुत किया गया है कि बीसीसीआई (उपरोक्त) में फैसले को खत्म करने के लिए, संसद ने संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 को हटा दिया मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 15 के माध्यम से 23.10.2015 से, जिसे 30.08.2019 को अधिसूचित किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 15 की वैधता को अन्य बातों के साथ-साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2020) 17 एससीसी 324 (तीन न्यायाधीशों की पीठ) में चुनौती दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने माना कि, हालांकि बीसीसीआई (उपरोक्त) में फैसले का आधार हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी पाया गया कि संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 15 असंवैधानिक थी क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना था। उल्लेखनीय बात यह है कि न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 को 23.10.2015 को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता और संबंधित अदालती कार्यवाही पर लागू होने के बावजूद, न्यायालय ने संशोधन को रद्द कर दिया और बीसीसीआई (उपरोक्त) में बताए गए कानून को पुनर्जीवित किया। न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि

"66. परिणाम यह है कि कोच्चि क्रिकेट [बी.सी.सी.आई. बनाम कोच्चि क्रिकेट (पी) लिमिटेड, (2018) 6 एस.सी.सी.] निर्णय इसलिए लागू होता रहेगा ताकि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए हितकारी संशोधनों को 23-10-2015 के बाद शुरू की गई सभी अदालती कार्यवाही पर लागू किया जा सके।"

3.11 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि बीसीसीआई (उपरोक्त) में फैसले, जहां तक यह मध्यस्थ कार्यवाही और अदालती कार्यवाही के बीच अंतर करता है, का पालन भारत सरकार बनाम वेदांता लिमिटेड, (2020) 10 एससीसी 1 (तीन न्यायाधीशों की पीठ) में किया गया था, और अदालत ने जोर देकर कहा कि संशोधन अधिनियम, 2015 मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही पर लागू होगा। भले ही इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले या बाद में शुरू हुई हो। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में निर्णय, जहाँ तक यह मध्यस्थता कार्यवाही और अदालत के बीच अंतर करता है। भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड, (2020) 10 एस.सी.सी. 1 में कार्यवाही का पालन किया गया। (तीन न्यायाधीशों की पीठ) और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन अधिनियम, 2015 मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही पर लागू होगा, भले ही ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले या बाद में शुरू हुई हो।

3.12 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में निर्णय पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तर ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020) 7 एस.सी.सी. 167 (पैरा 15) में भी इसका अनुसरण किया गया है। (तीन न्यायाधीशों की पीठ)

3.13 उपरोक्त निर्णयों के इस संक्षिप्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में धारा 26 में निर्दिष्ट न्यायिक कार्यवाही के बारे में निर्णय, जिसे मूल अधिनियम की धारा 21 द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है, का पालन एक समन्वय पीठ द्वारा किया गया है। सांगयोंग इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में माननीय न्यायालय और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त), वेदांता लिमिटेड (उपरोक्त) और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा निर्णय बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में निर्णय की अज्ञानता में दिया गया था। इसके अलावा, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) में समन्वय पीठ ने निर्णयों पर भरोसा रखा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)

और एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (ऊपरोक्त), जिनमें से कोई भी संबंधित नहीं है। न्यायिक कार्यवाहियां जो मध्यस्थ की योग्यता या अयोग्यता के मुद्दे पर प्रदान की गई थीं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) के मामले में प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई कीबी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के संदर्भ के बिना।

3.14 अतः अपीलकर्ता की ओर से यह निवेदन किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय समन्वय पीठ पर बाध्यकारी था जिसने परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया था, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है और इसलिए परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय लिया है। को पर इनक्वैरियम और/या सब साइलेन्टियो कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय, जो प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय देता है, बड़ी पीठ को परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपरोक्त) पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए, बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसका बाद में यहां ऊपर निर्दिष्ट अन्य फैसलों में पालन किया गया है, वर्तमान अपील को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पद्मेश मिश्रा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

4.1 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए और यह मानते हुए कि पूर्व-संशोधन मध्यस्थता अधिनियम, 2015 लागू होगा, धारा 11(6) के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस 20.12.2013 पर जारी किया गया था, अर्थात्, संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम,

1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी और 27.04.2016 पर दायर किया गया था, यानी, संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने के बहुत बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए और जब मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले जारी किया गया था, तो यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता की कार्यवाही 20.12.2013 पर शुरू हुई थी और इसलिए, पूर्व-संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा न कि संशोधन अधिनियम, 2015

4.3 अब, जहां तक अपीलकर्ता की ओर से भरोसा किए गए बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के मामले में निर्णय और बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के बाद के निर्णय सभी अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 36 के तहत कार्यवाही के संबंध में हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 34 और 36 की कार्यवाहियों को न्यायिक/अदालती कार्यवाहियों के रूप में मानते हुए, इस माननीय न्यायालय ने धारा 26 की व्याख्या की है, जिसमें धारा 26 को दो भागों में विभाजित किया गया है और यह माना गया है कि धारा 34 और 36 के तहत न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में, संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, दूसरी ओर, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन के मुद्दे से निपटने वाली परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय का प्रत्यक्ष निर्णय है और उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से देखा गया है और माना गया है कि जहां तक अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन का संबंध है, 1996 का संबंध है, नोटिस के मामले में मध्यस्थता को लागू करना संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले लागू होता है, संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले लागू होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जो दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। बाद में प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया और उसके बाद फैसला सुनाया। 4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट

रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 26 में निहित योजना से यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है और केवल उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में, संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद शुरू होती हैं, और अदालत की कार्यवाही, जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि ऐसे मामलों में, जहां मध्यस्थता की कार्यवाही 23.10.2015 से पहले शुरू की गई है, यह उस कानूनी स्थिति द्वारा शासित होती रहेगी जो संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले मौजूद थी।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय धारा 11(6) के तहत आवेदनों के संबंध में हैं और बीसीसीआई (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय धारा 34 और 36 के तहत कार्यवाही के संबंध में है और यहां तक कि पैराग्राफ 37 से 39 में की गई टिप्पणियां "अदालती कार्यवाही" के संबंध में हैं और इसलिए, उपरोक्त दो फैसलों को बीसीसीआई (उपरोक्त) के मामले में फैसले के साथ विरोधाभासी नहीं कहा जा सकता है।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा "उसके संबंध में अदालती कार्यवाही" अभिव्यक्ति पर निर्भरता, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 में यह तर्क देने के लिए होता है कि अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन ऐसी श्रेणी में आते हैं, गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस माननीय न्यायालय को संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, ताकि यह जवाब दिया जा सके कि क्या धारा 36 के तहत आवेदन, जिसे संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले शुरू की गई धारा 34/36 कार्यवाही के संबंध में अपने संशोधित रूप में लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, बी.सी.सी.आई. (उपरोक्त) में किसी भी अवलोकन को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें मुद्दा उत्पन्न हुआ था और यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने धारा 11 के आवेदनों

पर संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रयोज्यता के संबंध में कानून निर्धारित किया था।

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (ऊपरोक्त) में इस माननीय न्यायालय के निर्णयका अनुसरण करता है। ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में धारा 11 याचिकाएं पूर्व-संशोधित कानूनी स्थिति द्वारा शासित होंगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में उक्त निर्णय बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त) में इस माननीय न्यायालय की टिप्पणियों का पालन करता है।

4.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि क्या संशोधन अधिनियम, 2015 23.10.2015 (जिस तारीख को संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हुआ था) से पहले शुरू की गई मध्यस्थता के संबंध में धारा 11 के तहत कार्यवाही पर लागू होगा या नहीं, इस मुद्दे पर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद बीसीसीआई (उपरोक्त) के फैसले का निष्कर्ष निम्नानुसार होगा।

"16. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं और न ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रत्न इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामले में लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने के लिए इच्छुक हैं। मेजा ऊर्जा निगम (पी) लिमिटेड, 2017 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 7808]; यह ध्यान दें पर्याप्त है कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की खंड 26 के अनुसार, संशोधित 2015 अधिनियम के प्रावधान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। वर्तमान मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में परंतुक को पक्षों के बीच समझौता नहीं माना जा सकता है ताकि संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। 23-10-2015)। वर्तमान मामले में, मध्यस्थता की कार्यवाही 2013 में संशोधित अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले शुरू हुई थी और इसलिए, संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

17. बी.सी.सी.आई. बनाम कोच्चि क्रिकेट (पी) लिमिटेड [(2018) 6 एस.सी.सी. 287] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 (आई.डी. 1 से प्रभावी) के प्रावधान पहले से शुरू मध्यस्थता कार्यवाही में पूर्वव्यापी संचालन नहीं कर सकते हैं जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों और निम्नानुसार अभिनिर्धारित न हों:

....."

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्थापित कानून है कि अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुसार नोटिस के आह्वान पर मध्यस्थता शुरू होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया गया है, संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 21 के साथ पठित धारा 26 की सही व्याख्या पर, संशोधन अधिनियम, 2015 लागू नहीं होगा और मध्यस्थता असंशोधित प्रावधान द्वारा नियंत्रित होगी।

4.10 परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में उपरोक्त प्रस्तुतियां देना और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना; प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट

लिमिटेड (उपरोक्त), वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में, ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया जाता है, पुराना अधिनियम (पूर्व-संशोधन 2015) या नया अधिनियम लागू होगा?

6. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, अर्थात् धारा 11 (6क), 21 और 26, जो निम्नानुसार हैं:

“(6क) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय, उप-धारा(4) या उप-धारा(5) या उप-धारा(6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगा।

21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत-जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थ कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है।

26. लंबित मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम-इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रमुख अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के

प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

6.1 धारा 11 (6क) को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन से निपटने वाले न्यायालय की शक्तियां प्रतिबंधित हैं और धारा 11(6क) के अनुसार, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय की शक्तियां एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित हैं, जो शक्तियां पूर्व-संशोधन अधिनियम, 2015 में प्रतिबंधित नहीं थीं। हालांकि, संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए, मूल अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख को शुरू हुई है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इसलिए, मूल अधिनियम की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख को शुरू हुई कही जा सकती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 36 में भी संशोधन किया गया है और निर्णय को चुनौती देने में न्यायालय के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित और/या संकुचित कर दिया गया है।

7. मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रयोज्यता का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष निर्णयों के आधार पर विचार के लिए आया, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i) मायावती ट्रेडिंग बनाम प्रद्युत देबबर्मन, (2019) 8 एससीसी 714 के मामले में, यह देखा गया है और माना गया है कि धारा 11 (6क) को शामिल करने के बाद कानून की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, धारा 11(4) से 11(6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय खुद को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रखना है, इससे अधिक कुछ नहीं, कुछ भी कम नहीं, और अन्य सभी प्रारंभिक मुद्दों को मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दें।

ii) *बी.सी.सी.आई. (ऊपरोक्त)* के मामले में, संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा 26 की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 37 से 39 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"37. जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, उस पर क्या ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है -

"26. लंबित मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम।

- इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों।"

यह है कि: (1) "मध्यस्थ कार्यवाही" और उनके प्रारंभ का उल्लेख मूल अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में किया गया है; (2) उपयोग की गई अभिव्यक्ति "से" है और "के संबंध में" नहीं है; और (3) पक्ष अन्यथा सहमत हो सकते हैं। जहाँ तक धारा 26 के दूसरे भाग का संबंध है, अर्थात् वह भाग जो कहता है, "लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा" यह स्पष्ट करता है कि

"के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है; और "मध्यस्थता कार्यवाही और" मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार "अभिव्यक्ति इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है।

38. "मध्यस्थ कार्यवाही" शब्द एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करता है, यह 1996 के अधिनियम के अध्याय V के शीर्षक से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार पढ़ता है।

"मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन"

पूरे अध्याय में धारा 18 से 27 शामिल हैं जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन से संबंधित हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि केवल इन कार्यवाहियों को संदर्भित किया जाता है, अभिव्यक्ति "से" के रूप में "इसे स्पष्ट करने" के संबंध में अभिव्यक्ति के विपरीत। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की खंड 21 का संदर्भ, जो अध्याय 5 में दिखाई देता है, और जो उस तारीख से शुरू होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही की बात करता है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है, यह भी स्पष्ट करेगा कि ये कार्यवाहियां हैं, और कोई अन्य नहीं, जो खंड 26 के पहले भाग का विषय-वस्तु हैं। इसके अलावा, चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन काफी हद तक प्रक्रियात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए पक्षकार "अन्यथा सहमत" हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम को उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई हैं। [संशोधन ए की खंड 29-ए (एस. आई. सी. संशोधित) अधिनियम समय-सीमा का प्रावधान करता है जिसके भीतर एक मध्यस्थ निर्णय दिया जाना है। *हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (1994) 4 एस. सी. सी. 602 पी. 633:1994

एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1087, इस न्यायालय ने कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 633, पैरा 26) "26... (iii) प्रत्येक वादकारी को मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।(iv) एक प्रक्रियात्मक अधिनियम को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।(v) एक अधिनियम जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, उसका संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। पीठ ने कहा, "यह अन्य बातों के साथ साथ-साथ इसलिए है क्योंकि संशोधन (एस. आई. सी. संशोधित) अधिनियम की खंड 29-ए में पहली बार मध्यस्थता निर्णय देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है कि पक्षों को ऐसी समय-सीमा अपनाने का विकल्प दिया गया था, जो यद्यपि प्रक्रियात्मक प्रकृति की हो, लेकिन असंशोधित अधिनियम के तहत पहले से शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में नए दायित्व पैदा करती है। यह, निश्चित रूप से, केवल एक उदाहरण है कि क्यों पक्षकार अन्यथा सहमत हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो इसके लागू होने से पहले शुरू हुई हैं।] खंड 26 के पहले भाग के बिल्कुल विपरीत दूसरा भाग है, जिसमें संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू किया गया है जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई थी। 1996 के अधिनियम की खंड 21 का कोई भी संदर्भ दूसरे भाग में इसकी अभाव से स्पष्ट है। जबकि पहला भाग केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को संदर्भित करता है, दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालती कार्यवाही को

संदर्भित करता है, और यह इन अदालती कार्यवाही का प्रारंभ है जिसे खंड 26 के दूसरे भाग में संदर्भित किया गया है, क्योंकि दूसरे भाग में "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" शब्द 1996 के अधिनियम की खंड 21 के आवेदन द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

39. इसलिए, धारा 26, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कार्यवाही को काफी स्पष्टता के साथ, कार्यवाही के दो सेटों में विभाजित करता है-मध्यस्थ कार्यवाही स्वयं, और उसके संबंध में अदालत की कार्यवाही। धारा 26 के पहले भाग को नकारात्मक रूप में पेश करने का कारण केवल यह कहना है कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही पर भी लागू होगा यदि पार्टियां अन्यथा सहमत हों। यदि धारा 26 के पहले भाग को सकारात्मक भाषा (दूसरे भाग की तरह) में प्रस्तुत किया गया था, तो यह कहते हुए एक परंतुक जोड़ना आवश्यक होगा कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही पर भी लागू होगा यदि पार्टियां सहमत हों। किसी भी मामले में, विधायिका का इरादा वही रहता है, नकारात्मक रूप जो बताता है कि सकारात्मक रूप से क्या कहा जा सकता था, आवश्यक परंतुक के साथ। जाहिर है, "मध्यस्थ कार्यवाही" को पहले भाग में शामिल किया गया है, जो दूसरे भाग में फिर से प्रकट नहीं हो सकता है, और "मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति इसलिए, केवल अदालत की कार्यवाही पर लागू होगी जो मध्यस्थ कार्यवाही से संबंधित है। धारा 26 की योजना इस प्रकार स्पष्ट है: कि संशोधन अधिनियम प्रकृति में भावी है, और उन मध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू होगा जो संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद प्रमुख अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझी जाती हैं, और उन अदालती कार्यवाहियों पर लागू होंगी जो संशोधन अधिनियम लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं।

इस प्रकार, बीसीसीआई (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा जाता है और माना जाता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 प्रकृति में संभावित है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बीसीसीआई (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय आईपीसी की धारा 34 और 36 के तहत कार्यवाही पर विचार कर रहा था। संशोधन अधिनियम, 2015 और धारा 26 की व्याख्या करते समय, यह देखा गया है कि संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है, और यहां तक कि उन मध्यस्थ कार्यवाहियों पर भी लागू होगा जो शुरू की गई हैं, जैसा कि प्रिंसिपल एक्ट की धारा 21 द्वारा समझा जाता है। संशोधन अधिनियम, और न्यायालय की कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई है।

iii) परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन के संबंध में, ऐसे मामले में जहां संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले मध्यस्थता के लिए नोटिस प्राप्त होता है, लेकिन अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया जाता है, यह पैराग्राफ 25 से 28 में निम्नानुसार देखा जाता है।

"25. 2015 के संशोधन अधिनियम को राजपत्रित किया गया था और 2015 के संशोधन अधिनियम की खंड 1 (2) के अनुसार, यह माना जाता था कि यह 23-10-2015 पर लागू हुआ था। 1996 के अधिनियम की खंड 21 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है और 2015 के संशोधन अधिनियम की खंड 26 का स्पष्ट अध्ययन स्वयं स्पष्ट है, जिससे व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं बची है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक 1996 के अधिनियम/2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 21 और 26 को नीचे निकाला गया है:

"21. *मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत* - जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

* * *

26. *लंबित मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम*- इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रधान अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाहियों पर इस अधिनियम में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

26. धारा 21 को धारा 26 के साथ पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि 2015 संशोधन अधिनियम के प्रावधान ऐसी मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे जो प्रमुख अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू हुई हैं, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। अरावली पावर कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग मामले में इस न्यायालय द्वारा 2015 संशोधन अधिनियम की धारा 26 के साथ पढ़ी गई धारा 21 के प्रभाव की जांच की गई है। [अरावली पावर कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2017) 15 एससीसी 32: (2018) 2 एससीसी (सीआईवी) 642] और 2015 संशोधन अधिनियम की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार

व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं: (एससीसी पी 53, पैरा 22) खंड 26 के साथ पठित खंड 21 का संयुक्त पठन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान मूल अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। 2015 के संशोधन अधिनियम की खंड 26 के साथ पठित खंड 21 के प्रभाव की इस न्यायालय द्वारा जांच की गई है। *अरावली पावर कं. (पी) लिमिटेड बनाम एरा इन्फ्रा ईंजिनियरिंग लिमिटेड [अरावली पावर कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एरा इन्फ्रा ईंजिनियरिंग लिमिटेड, (2017) 15 एससीसी 32:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 642]* और 2015 के संशोधन अधिनियम की खंड 26 ध्यान दें में रखते हुए व्यापक सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: (एस. सी. सी. पृ. 53, पैरा 22)

"22. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो सिद्धांत उभरते हैं, वे हैं:

22.1. 1996 के अधिनियम द्वारा शासित मामलों में, जैसा कि संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले था:

22.1.1. तथ्य यह है कि नामित मध्यस्थ पार्टियों में से एक का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पूर्वाग्रह या पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी की धारणा बढ़ाने का आधार नहीं है। हालांकि एक कर्मचारी मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में एक उचित आशंका हो सकती है, अगर ऐसा व्यक्ति विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार प्राधिकरण था या यदि वह उस अधिकारी का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है जिसका निर्णय विवाद का विषय है। 22.1.2. जब तक 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने

के लिए वाद हेतुक कारण उत्पन्न नहीं होता है, तब तक मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

22.1.3. मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित सदस्य धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा।

22.1.4. खंड 11 की उप-खंड (6) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, यदि परिस्थितियां मौजूद हैं, नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायाधीशोचित संदेह जन्म देती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नामित मध्यस्थ की उपेक्षा कर सकते हैं और किसी और को नियुक्त कर सकता है।

22.2. संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1996 के अधिनियम द्वारा शासित मामलों में: यदि मध्यस्थता खंड को संशोधित प्रावधानों में गड़बड़ी मिलती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति, भले ही स्पष्ट रूप से समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो, अवैध होगी और इस प्रकार न्यायालय ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा जो अनुमेय हो।"

जिस पर आगे एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड लिमिटेड वी. हिमाचल प्रदेश राज्य, (2019) 2 एस.सी.सी. 488:(2019) 1 एस. सी. सी. (सी.वी.) 748]:(एस. सी. सी. पी. 495, पैरा 16) मामला [एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन (पी)] में आगे विचार किया गया है।

"16. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं और न ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रत्न में लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने के लिए इच्छुक हैं। *रत्न अवसंरचना परियोजना मामला [रत्न अवसंरचना परियोजना (पी) लिमिटेड बनाम मेजा ऊर्जा निगम (पी) लिमिटेड, 2017 एससीसी यह ध्यान दें करना पर्याप्त है कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की खंड 26 के अनुसार, संशोधित 2015 अधिनियम के प्रावधान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों।* वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में परंतुक को पक्षों के बीच समझौता नहीं माना जा सकता है ताकि संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। 23-10-2015)। वर्तमान मामले में, मध्यस्थता की कार्यवाही 2013 में संशोधित अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले शुरू हुई थी और इसलिए, संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।"

27. हमारा यह भी विचार है कि 2015 का संशोधन अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले

मूल अधिनियम, 1996 की खंड 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों।

28. तत्काल मामले में, 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले संबंधित अपील में अपीलार्थियों द्वारा अनुरोध किया गया था और प्राप्त किया गया था। चाहे आवेदन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लंबित था या मध्यस्थ के परिवर्तन/प्रतिस्थापन शामिल है। मध्यस्थ, मूल अधिनियम, 1996 की खंड 21 के संदर्भ में 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी कानूनी प्रभाव का नहीं होगा। हमारे सुविचारित विचार में, प्रतिवादी ठेकेदारों द्वारा किए गए आवेदनों/अनुरोधों की 2015 के संशोधन अधिनियम का सहारा लिए बिना मूल अधिनियम, 1996 के अनुसार जांच की जानी चाहिए, जो 23-10-2015 से लागू हुआ था।"

परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय ने मामले में निर्णय के पैरा 16 पर बहुत अधिक भरोसा किया एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।

(iv) फिर *प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* के मामले में इस न्यायालय का निर्णय आता है। उक्त मामले में, एक तीन इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने मामले में निर्णय का पालन किया है। *परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* और उक्त में निर्णय में यह विशेष रूप से देखा गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 का असंशोधित अधिनियम, यानी संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले लागू होगा, जहां 2015 का संशोधन लागू होने से पहले विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध किया गया था।

v) *सांगर्यॉंग इंजिनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त), के मामले में। जिसमें बी.सी.सी.आई. (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय का पालन किया गया था, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि खंड 34, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल खंड 34 के उन आवेदनों पर*

लागू होगी जो 23.10.2015 को या उसके बाद न्यायालय में किए गए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से पहले शुरू हो गई होगी। (पैरा 19 देखें)। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मामले में *सांगर्योंग इंजिनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त)*, यह न्यायालय *बी.सी.सी.आई. (उपर्युक्त)* के मामले में निर्णय का पालन किया है (पैरा 17 देखें)।

8. अपीलकर्ता की ओर से यह मामला है कि इसलिए बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में, जिस फैसले का बाद में सांगर्योंग इंजिनियरिंग के मामले में पालन किया गया है। निर्माण कंपनी लिमिटेड उपरोक्त और अन्य निर्णय, यह विशेष रूप से देखा गया है और माना गया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 प्रकृति में संभावित है। अपीलकर्ता की ओर से यह मामला है कि परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त के मामलों में विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए, इस न्यायालय ने बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर ध्यान नहीं दिया था और / या विचार नहीं किया था और इसलिए परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त के मामलों में इस न्यायालय के फैसले लाइलाज हैं। अपीलकर्ता की ओर से यह भी मामला है कि जहां तक अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त के मामले में निर्णय का संबंध है, जिस पर इस न्यायालय ने परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त के मामले में विचार किया था, उक्त निर्णय में भी बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में निर्णय का कोई संदर्भ नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी मामला है कि हालांकि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त के मामले में, बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में निर्णय का संदर्भ है, लेकिन उक्त निर्णय में पैराग्राफ 38 और 39 को संदर्भित नहीं किया गया है और / या विचार नहीं किया गया है और / या विचार किया गया है और पैरा 37 के पुनरुत्पादन को छोड़कर, बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में आगे कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह विशिष्ट मामला है कि जैसे मामलों में निर्णय परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त लाइलाज हैं, हमें यह मानना चाहिए कि वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा और इसलिए उच्च

न्यायालय ने समझौते और संतुष्टि पर विचार करने में एक बहुत ही गंभीर त्रुटि की है जो संशोधन अधिनियम, 2015, यानी धारा 11(6ए) के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से यह मामला है कि इसलिए *बी.सी.सी.आई. (उपर्युक्त)* के मामले में, निर्णय जो बाद में लिया गया है। *सांगर्यांग इंजिनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त)*, के मामले में इसका पालन किया गया। और अन्य निर्णयों को विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 संभावित प्रकृति का है। अपीलकर्ता की ओर से यह मामला है कि के मामलों में एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए *परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी (ऊपर)* और *प्रदीप विनोद निर्माण कंपनी (ऊपर)*, इस न्यायालय ने *बी.सी.सी.आई. (उपर्युक्त)* के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर ध्यान नहीं दिया था और/या विचार नहीं किया था। और इसलिए *परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* और *प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय प्रति इन्क्वैरियम है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी मामला है कि जहाँ तक *अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)* के मामले में निर्णय का संबंध है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। *परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी (उपरोक्त)* के मामले में, उक्त निर्णय में भी, *बी.सी.सी.आई. (ऊपर)* के मामले में निर्णय का कोई संदर्भ नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी मामला है कि हालांकि *एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)* के मामले में, *बी.सी.सी.आई. (ऊपर)* के मामले में निर्णय का संदर्भ है, लेकिन उक्त निर्णय पैराग्राफ 38 और 39 का उल्लेख नहीं किया गया है और/या उन पर विचार नहीं किया गया है और पैरा 37 के पुनरुत्पादन के अलावा, *बी.सी.सी.आई. (ऊपर)* के मामले में आगे कोई चर्चा नहीं है। इसलिए, यह अपीलकर्ता की ओर से विशिष्ट मामला है कि के मामलों में निर्णय के रूप में *परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* और *प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर)* इनक्वैरियम के अनुसार हैं, हमें यह मानना चाहिए कि वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम, 2015 लागू होगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने सहमति और संतुष्टि पर राय देने में बहुत गंभीर त्रुटि की है जो संशोधन अधिनियम, 2015, यानी खंड 11 (6ए) के अनुसार अनुमेय नहीं है।

9. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आकर्षक लगता है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। इस न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त के मामलों में निर्णय को पेरीनकुरियम कहा जा सकता है क्योंकि बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर उक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। हालांकि, बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में निर्णयों और पैराग्राफ 37 से 39 में की गई टिप्पणियों को उचित ढंग से पढ़ने और परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त के मामलों में निर्णयों के निष्पक्ष पठन पर, हमारी राय है कि इस न्यायालय ने बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में कहा है कि मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, जहां तक धारा 34 और 36 के अंतर्गत कार्यवाहियों का संबंध है, वर्ष 2015 संभावित प्रकृति का है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में, धारा 11 (6) के तहत आवेदन विषय नहीं था और अदालत के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था कि यहां तक कि ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता लागू करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया गया है, लेकिन धारा 11 (6) के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया गया है, स्थिति क्या होगी और क्या पुराना अधिनियम लागू होगा या संशोधित अधिनियम। दूसरी ओर, परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त के मामले में निर्णय सीधे बिंदु पर है, अर्थात्, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन। परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त के मामले में, यह विशेष रूप से देखा गया है और माना गया है कि एक मामले में जहां संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले मध्यस्थता लागू करने का नोटिस जारी किया जाता है और धारा 11 (6) के तहत आवेदन संशोधन के बाद दायर किया जाता है, प्रधान अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, मध्यस्थता लागू करने वाले नोटिस जारी करने की तारीख को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के रूप में माना जाएगा और इसलिए संशोधन की धारा 26 के अनुसार। अधिनियम, 2015, संशोधित अधिनियम, 2015 लागू नहीं होगा और पार्टियों को संशोधन-पूर्व अधिनियम, 2015 द्वारा शासित किया जाएगा।

9.1 अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर दिया गया है, इस सरल कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि *बी.सी.सी.आई. (ऊपर)* के मामले में यह न्यायालय धारा 34 और 36 के तहत न्यायालयी कार्यवाही पर विचार कर रहा था। इसके लिए, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 37 से 39 में धारा 26 की व्याख्या की, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, और यह अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है, और उन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होगा जो मूल अधिनियम की खंड 21 द्वारा संशोधित अधिनियम, 2015 को या उसके बाद शुरू की गई हैं और उन अदालती कार्यवाहियों पर लागू होंगी जो संशोधन अधिनियम, 2015 को या उसके बाद शुरू हुई हैं। इसलिए, *बी.सी.सी.आई. (ऊपर)* के मामले में पैराग्राफ 37 से 39 में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को उन अदालती कार्यवाही के संबंध में समझा और समझा जाएगा जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं, अर्थात् धारा 34 और धारा 36 के तहत कार्यवाही। इसलिए, परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को बीसीसीआई उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त के मामले में, जो सीधे बिंदु पर है, यह विशेष रूप से देखा जाता है और माना जाता है कि 2015 संशोधन अधिनियम, जो 23.10.2015 से लागू हुआ था, उन मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो प्रमुख अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई हैं। 2015 संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले 1996, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों (पैरा 27)। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त के मामले में भी इसी तरह की राय व्यक्त की गई है।

10. परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए परमार कंस्ट्रक्शंस कंपनी उपरोक्त और प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी उपरोक्त और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना मामले के तथ्यों पर लागू करना क्योंकि वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड लागू करने का नोटिस

26.12.2013 को जारी किया गया था। यानी, संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन को 27.04.2016 को प्राथमिकता/दायर किया गया है, यानी, संशोधन अधिनियम लागू होने के बहुत बाद, संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित कानून लागू होगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने समझौते और संतुष्टि के सवाल में सही प्रवेश किया है और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 नामक प्रमुख अधिनियम। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। यह देखा गया है और माना गया है कि एक मामले में जहां मध्यस्थता को लागू करने का नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया गया है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद किया गया है, संशोधन पूर्व अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे, न कि संशोधन अधिनियम, 2015। वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड लागू करने की सूचना 26.12.2013 को जारी की गई थी, यानी संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले, और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन को 27.04.2016 को प्राथमिकता/दायर किया गया है, यानी, संशोधन अधिनियम लागू होने के बहुत बाद, संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित कानून लागू होगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने समझौते और संतुष्टि के सवाल को सही ढंग से खारिज कर दिया है। संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्रचलित प्रमुख अधिनियम, अर्थात् मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को लागू करने वाले अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। यह देखा गया है और माना गया है कि ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता को लागू करने वाला नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले जारी किया गया है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद किया गया है, संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे, न कि संशोधन अधिनियम, 2015

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और शेवाली मोंगा, एलसीआरएस)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।